# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

## बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

**राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 12/2021**

**प्रार्थी**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

*बनाम*

**अप्रार्थी**

1. मृतक श्री पुनमा पुत्र श्री वीजा जाति भाट निवासी आकराभट्टा के कायम मुकाम–
   - 1.1 श्री भगवानदास पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.2 श्री गोविन्दराम पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.3 श्री विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.4 सुश्री अनीता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.5 श्रीमती दरिया पत्नि स्व. श्री मोहनलाल पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.6 श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री गणेशलाल पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.7 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री गणेशलाल पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.8 सुश्री सविता पुत्री स्व. श्री गणेशलाल पुत्र स्व. श्री पुनमा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.9 मृतक सुश्री हस्तु पुत्री स्व. श्री पुनमा जाति भाट के कायम मुकाम–
     - 1.9.1 श्री शंकरलाल पुत्र श्री बाबूजी जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
     - 1.9.2 श्री नरपत पुत्र श्री बाबूजी जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

*राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970*

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी अधिवक्ता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

## *निर्णय*

दिनांक 07.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा आकराभट्‌टा पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 23/149 रकबा 1.00 बीघा किस्म मगरी भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राज/181–82 दिनांक 02.01.1985 द्वारा अप्रार्थी श्री पुनमा पुत्र श्री वीजा जाति भाट निवासी आकराभट्‌टा को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 25.03.1985 को नायब तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थी के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान क्रमशः 1.1 से 1.8 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1.9.1 एवं 1.9.2 द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 23/149 रकबा 1.00 बीघा किस्म मगरी भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री पुनमा पुत्र श्री वीजा जाति भाट निवासी आकराभट्‌टा को करने में आवंटन क्रमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान क्रमशः 1.1 से 1.8 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 23/149 रकबा 1.00 बीघा किस्म मगरी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय से ही अप्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं उक्त आवंटन किए हुए 37 वर्षों की अवधि गुजर चुकी है, तब से आंवटित मौके पर काबिज होकर प्रार्थी की देखरेख में काश्त करता [illegible] एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा गलत मौका रिपोर्ट बना कर उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि कानूनन आवंटन हुए कृषि आराजी को 37 [illegible] की अवधि गुजर चुकी है एवं कानूनन खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है जबकि [illegible] अधिकारियों का यह दायित्व था कि कृषि भूमि को आवंटित होने के 10 वर्ष पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करना चाहिए था, जो राजस्व अधिकारियों की भूल से दर्ज नहीं हो पाया, बल्कि कानूनन में यह स्पष्ट प्रावधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है कि आंवटन होने के 10 वर्ष पश्चात आंवटित के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने चाहिए थी ऐसी स्थिति में स्वतः ही खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं कानूनन खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह है कि संवत 2041 से उक्त भूमि पर अप्रार्थी को गैर खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठी की गई है एवं संवत 2044–45 में भी उक्त भूमि पर पुनमा पुत्र श्री वीज द्वारा ग्वार बौने का खसरा गिरदावरी में उल्लेख किय गया था तथा उसके पश्चात भी नियमानुसार काश्त की जाती रही है। यह है कि आंवटन उस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जो आंवटित द्वारा कपटपूर्वक फर्जी तरीके से आवंटन कराया हो, जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आरोप नहीं है। यह है कि खसरा संख्या 23/149 रकबा 1.00 बीघा पर आवंटन की दिनांक 02.01.1985 से अप्रार्थी पुनमा पुत्र श्री वीजा का उक्त कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है तथा स्व. श्री पुनमा की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी संख्या एक से नौ अपने आप को उक्त कृषि भूमि के खातेदार जताते व बताते काबिज काश्त है। वादग्रस्त सम्पत्ति के अन्य भू–माफिया खुर्दबुर्द व हडप करने की फिराक में है, जिससे उनके प्रभाव में आकर हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह प्रकरण प्रस्तुत करवाया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/राज/181–82 दिनांक 02.01.1985 के द्वारा श्री पुनमा पुत्र श्री वीजा जाति भाट को मौजा आकराभट्टा तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 23/149 रकबा 1.00 बीघा किस्म मगरी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आंवटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण दिनांक 25.03.1985 को नायब तहसीलदार आबूरोड द्वारा आंवटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री पुनमा पुत्र श्री वीजा जाति भाट के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2042 में उक्त आंवटित भूमि पर ज्वार की फसल बौने का काश्त होना दर्ज है, इसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही हो। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा आवंटन के समय संवत 2042 में ज्वार की फसल बोकर काश्त किया है, उसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है। चूंकि नियम 14 (3) के तहत अप्रार्थी प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा कर काश्त की जा रही है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर संवत 2042 के बाद किसी भी प्रकार की कोई काश्त की हो। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आकराभट्टा तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 23/149 रकबा 1.00 बीघा किस्म मगरी भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/राज/181–82 दिनांक 02.01.1985 द्वारा अप्रार्थी श्री पुनमा पुत्र श्री वीजा जाति भाट निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner